माननीय ए. एल. बहरी, वी. के. बाली, जे जे के समक्ष

ग्राम पंचायत दुबलधन, द्वारा सरपंच,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

***1992 की सिविल रिट* याचिका *संख्या* 3432।**

28 अप्रैल, 1992।

भारत का संविधान- अनुच्छेद 226/227 & पंजाब *ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चौथा)- धारा* 26-ग्राम *पंचायतों* ने *अपने क्षेत्र में निषेध की सिफारिश करते हुए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए और प्रतिवादी से अनुरोध किया कि किसी भी शराब की दुकान की नीलामी नहीं की जाए-प्रतिवादी ने प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद शराब की दुकानों की नीलामी* की-ऐसा *प्रस्ताव आबकारी और कराधान आयुक्त पर बाध्यकारी-विशेष रूप से क्योंकि प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 47 को ध्यान में रखते हुए है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 26 के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध को वैधानिक मान्यता दी गई है, ज़्यादा तब ,जब यह स्वयं लागू किया गया हो । ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, विशेष रूप से जब वे सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं, उस गाँव के निवासियों के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जिसके लिए एक पंचायत का गठन किया जाता है और यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि और गाँव के निवासी भी शराब न पीने के लिए खुद पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसकी न केवल सराहना की जानी चाहिए, बल्कि इसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए।जिस क्षण प्रस्ताव धारा 26 की धारा (1) के तहत पारित किया जाता है और

उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होता है, यह इस तरह के संकल्प के बाद अगले वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाता है।लेकिन उन अपवादों के अलावा जो पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम के उप- धारा (3), धारा 26 के प्रावधानों और उपधारा 3 के परंतुक के प्रावधानों से उपलब्ध हो सकते हैं, कलेक्टर के पास ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उक्त संकल्प आबकारी और कराधान आयुक्त के लिए बाध्यकारी है।

(पैरा 10)

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम- धारा 26- निषेध को लागू करने की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित करने में किसी भी वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाले अप्रैल के प्रकाश दिवस से शुरू होने वाली विशिष्ट अवधि का प्रावधान- अनिवार्य नहीं- निर्धारित समय सीमा निर्देशिका है।

अभिनिर्धारित किया गया कि निषेधाज्ञा लागू करने की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित करने में किसी भी वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर सितंबर के 30 वें दिन समाप्त होने वाली विशिष्ट अवधि का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। निर्धारित समय सीमा अनिवार्य नहीं है और केवल निर्देशिका है।" *ग्राम पंचायत, चिर्या बनाम हरियाणा और अन्य राज्य", 1985 पी. एल. जे. 578* में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 26 के प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसलिए, धारा 26 के प्रावधानों को उदार निर्माण दिया जाना चाहिए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसे प्राप्त किया जाना है।

(पैरा 11)

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम- धारा 26- निषेध लागू करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं का सर्वसम्मति से प्रस्ताव- इसे तब तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक स्पष्ट मामला सामने न आ जाए कि शराब का अवैध आसवन और तस्करी की जा रही है - देशी शराब की बरामदगी के आधार पर सर्वसम्मत प्रस्ताव को खारिज करना, जो न तो अवैध आसवन का मामला है और न ही तस्करी अवैध है- प्राधिकारियों को संविधान निर्माताओं द्वारा निषेधाज्ञा लागू

करने से जुड़े महत्व को ध्यान में रखें।

अभिनिर्धारित किया कि अधिकारियों को संविधान निर्माताओं द्वारा निषेध को लागू करने से जुड़े महत्व को ध्यान में रखना आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं के सर्वसम्मत प्रस्ताव को तब तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक कि पर्याप्त सामग्री के आधार पर यह दिखाने के लिए स्पष्ट मामला नहीं बनाया गया हो कि स्थानीय क्षेत्र में शराब का अवैध आसवन और तस्करी की गई थी या इसमें मिलीभगत थी। यदि संवैधानिक प्रावधानों में निहित सार्वजनिक नीति के महत्व को, जिसे याचिकाकर्ता लागू करना चाह रहे हैं, उत्तरदाताओं द्वारा ध्यान में रखा गया था, तो देशी शराब की बरामदगी के आधार पर, जो न तो अवैध आसवन का मामला है और न ही तस्करी का, ग्राम पंचायत के सर्वसम्मत प्रस्तावों को नजरअंदाज करने की राय अधिकारियों द्वारा नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए, हम मानते हैं कि ग्राम पंचायतों द्वारा पारित प्रस्तावों को अस्वीकार करना और उपरोक्त मामलों में शराब की दुकानों की नीलामी करना कानून के प्रावधानों के खिलाफ है और इसलिए, इसे अवैध माना जाता है।

(पैरा 15)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि:—

i) *याचिका के साथ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित 31 जनवरी 1992 के विवादित आदेश को गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र के बिना रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की एक रिट जारी की जाए;*

ii) *परमादेश, प्रतिषेध की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश उत्तरदाताओं को जारी किया जाए, जिसमें उन्हें 25 सितंबर, 1991 के संकल्प को प्रभावी करने का आदेश दिया जाए;*

iii) *उत्तरदाताओं को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर नशीले पेय की आपूर्ति करने से रोका जा*

सकता है और इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक शराब की दुकान को शराब की कोई भी बोतल बेचने की अनुमति ना दी जाए;

iv) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से मुक्ति दी जाए;

v) उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस देने से छुटकारा दिया जाए;

vi) इस याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए:

आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में संचालित शराब की दुकान के लिए 16 मार्च, 1992 को तय की गई नीलामी पर न्याय के हित में रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत दुबलधन के प्रधान धारा सिंह।

प्रतिवादीओं के लिए सभी रिट याचिकाओं में जिला अटॉर्नी आर. पी. विज।

निर्णय

वी. के. बाली, जे.

(1) यह निर्णय 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 3841 का निपटारा करेगा, जिसका निर्णय मामले में दलीलों की सुनवाई के बाद 23 अप्रैल, 1992 को ही घोषित किया गया था, साथ ही 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 4059, *"ग्राम पंचायत बादली बनाम हरियाणा राज्य और अन्य", 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 4210 "ग्राम पंचायत इमलोटा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" और 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 3432 "ग्राम पंचायत, दुबलधन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य"*, जिसमें 23 अप्रैल, 1992 को निर्णय तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न के रूप में सुरक्षित रखा गया था, इन सभी याचिकाओं में शामिल हैं।

उपरोक्त विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता ग्राम पंचायतों ने प्रतिवादी उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठाया है, जिसके द्वारा सर्वसम्मति से पारित ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों के विपरीत जाकर, वर्ष

1992-93 के लिए नीलामी करके याचिकाकर्ता ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में शराब की दुकानें स्थापित की गई हैं। ग्राम पंचायत फ़तेहपुर बिल्लोच ने 17 जनवरी 1991 को अपने कार्य क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का प्रस्ताव पारित किया और 19 सितंबर 1991 को उसी प्रस्ताव को दोहराया। यहां तक कि नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत ने भी 3 फरवरी, 1992 को नया प्रस्ताव पारित करके अधिकारियों से यही अनुरोध किया। यह दावा किया जाता है कि गाँव के सरपंच और अन्य सम्मानित लोगों ने आबकारी और कराधान आयुक्त और उपायुक्त से मुलाकात की और यह सुनिश्चित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रभावी बनाया जाए। फरवरी, 1992 के महीने में उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की गई और उन्हें बताया गया कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में पहले से चल रही शराब की दुकान की फिर से नीलामी नहीं की जाएगी और 1 अप्रैल, 1992 से ग्राम पंचायत के इलाके में पूर्ण निषेध होगा।ग्राम पंचायत द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि कुछ निहित स्वार्थों के प्रभाव में, शराब की दुकान की नीलामी 17 मार्च, 1992 को प्रतिवादी संख्या 4 को इस तथ्य के बावजूद की गई थी कि पंचायत के सदस्यों को दिए गए आश्वासन दूसरी दिशा में थे।अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था और चूंकि उच्च अधिकारियों ने उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को नजरअंदाज करने के लिए कहा था, इसलिए उनके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था।याचिकाकर्ता का सकारात्मक मामला यह है कि उसके क्षेत्र में शराब का कोई अवैध आसवन या तस्करी नहीं हुई थी और इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

(2) दायर किए गए उत्तर में, याचिकाकर्ता के कारण को इस आधार पर नकारने की मांग की गई है कि 17 जनवरी, 1991 का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था, लेकिन वह 19 सितंबर, 1991 को प्राप्त हुआ था और 3 फरवरी, 1992 का दूसरा प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त नहीं हुआ था।17 जनवरी, 1991 को पारित किया गया प्रस्ताव 19 सितंबर, 1991 को प्राप्त हुआ था, जो ग्राम पंचायत अधिनियम की खंड 26 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इस प्रकार वैध नहीं था।जहाँ तक याचिकाकर्ता के इस दावे का संबंध है कि उसके क्षेत्र में कोई अवैध आसवन या तस्करी नहीं हुई है, उसआत्यन्तिक रूप इनकार

नहीं किया गया है।

(3) आसवन या शराब की तस्करी के संबंध में ग्राम पंचायत के संज्ञान में कोई मामला नहीं लाया गया और फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि 30 दिसंबर, 1989 से 27 जनवरी, 1991 की अवधि ग्राम पंचायत बादली ने 25 सितंबर, 1991 को अपने संचालन के क्षेत्र में निषेध लागू करने के लिए पूर्ण गणपूर्ति और स्पष्ट बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित किया और इसे उपयुक्त अधिकारियों को भेजा गया, जिन्होंने इसे आगे प्रतिवादी संख्या 1 यानी वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, चंडीगढ़ को भेज दिया। उक्त प्रतिवादी ने ग्राम पंचायत को 30 जनवरी, 1992 को कार्यालय में सुबह 11.00 पूर्वाहन पर उनके सामने पेश होने के लिए एक पत्र भेजा।अवैध तक आबकारी अधिनियम के तहत विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ नौ मामले लंबित थे।सभी मामलों में, पांच से लेकर 84 बोतलों देशी शराब की बरामदगी हुई और यह स्थिति होने के कारण, ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(4) इस याचिका का प्रतिवादी द्वारा वर्ष 1989 से 1991 तक देशी शराब की बरामदगी के आधार पर भी विरोध किया गया है।शराब की बरामदगी के उपरोक्त मामलों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि अवैध आसवन और शराब की तस्करी को प्रकट करने वाली बहुत सारी गतिविधि थी।यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 9 मामलों में से, जिनका संदर्भ ऊपर दिया गया है, और साथ ही विवादित आदेश संलग्नक पी/3 में भी, देशी शराब की बरामदगी में शामिल व्यक्ति गांव के निवासी नहीं थे, सिवाय मांगे के बेटे राजिंदर और श्री लेख राम के बेटे भगत राम के, जिनसे जून, 1990 और फरवरी 1991 में 5 और 0 बोतलें बरामद की गई थीं।

(5) ग्राम पंचायत इमलोटा ने 18 सितंबर, 1991 को उक्त ग्राम पंचायत के संचालन के क्षेत्र में निषेध लागू करने के लिए स्पष्ट बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित किया।प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त अधिकारियों को भेजा गया था जिसे आगे वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, चंडीगढ़ को भेज दिया गया था।ग्राम पंचायत को प्रतिवादी संख्या 1 के

समक्ष 21 जनवरी, 1992 को सुबह 11.00 पूर्वाहन पर उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक बार फिर शराब की तस्करी और अवैध आसवन के किसी भी मामले का खुलासा किए बिना, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया-22 जनवरी, 1992 के आदेशों के अनुसार संलग्नक पी/3।

(6) इस याचिका का भी प्रतिवादी ने इस दलील पर विरोध किया है कि विचाराधीन क्षेत्र में बहुत अधिक अवैध आसवन और तस्करी हुई थी।उदाहरण के लिए, तीन मामलों का उल्लेख किया गया है जो 2 जनवरी, 1990,24 अप्रैल, 1990 और 29 जून, 1991 से संबंधित हैं।जहां पहले दो मामलों में श्री प्यारालाल के बेटे केवल और भीम सिंह के बेटे श्री समंदर सिंह के पास से देसी शराब की 12 बोतलें बरामद की गईं, वहीं पिछले मामले में श्री रति राम के बेटे महाबीर के पास से देसी शराब की तीन बोतलें बरामद की गईं। उपरोक्त सभी मामलों की सुनवाई लंबित बताई गई है और अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ है।

(7) ग्राम पंचायत दुबलधन ने 27 सितंबर, 1991 को अपने संचालन के क्षेत्र में निषेध लागू करने के लिए स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित किया।उपरोक्त प्रस्ताव उपयुक्त अधिकारियों को भेजा गया था जिन्होंने इसे आगे वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, चंडीगढ़ को भेज दिया।

जिसने ग्राम पंचायत को 30 जनवरी, 1992 को सुबह 11.00 पूर्वाहन पर उपस्थित होने के लिए बुलाया और एक बार फिर शराब की तस्करी और अवैध पूर्वाहन किसी भी मामले का खुलासा किए बिना, प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।ग्राम पंचायत का मामला यह है कि विवादित आदेश में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए उल्लिखित आधार तथ्यात्मक रूप से गलत थे।

(8) इस याचिका का केवल इस आधार पर विरोध किया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के संचालन के क्षेत्र में, लोग शराब के अवैध आसवन और तस्करी में लिप्त थे।उदाहरण के लिए, सात मामले उद्धृत किए गए हैं जो 1989 से अगस्त 1991 की अवधि के हैं।सभी मामलों में देशी शराब की 5 से 18 बोतलें बरामद हुई हैं, लेकिन वर्ष 1989 से संबंधित मामले में देसी शराब की 120 बोतलें और रम की 12 बोतलें बरामद हुई हैं। सभी मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झज्जर की अदालत में लंबित बताए गए हैं।हालाँकि, अंतिम मामले के संबंध में, यह कहा गया है कि इसकी जाँच की जा रही है।

(9) हमने 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 3841 में सरपंच माम चंद और सभी मामलों में जिला अटॉर्नी श्री आर.पी. विज को सुना है और मामले के अभिलेखों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता पंचायतों का अपने क्षेत्र में निषेध लागू करने का कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ-साथ पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की खंड 26 में निहित कानून के अधिदेश से भी अच्छी तरह से तैयार किया गया है जो हरियाणा राज्य पर लागू होता है।वास्तव में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं पर निषेध लगाने के राज्य के प्रयास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य ने कानून बनाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया ताकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य एक प्रिय इच्छा और आशा के दायरे में न रहे और यह लागू किया जा सके।इस स्तर पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ-साथ पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की खंड 26 के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो निम्नानुसार हैः—

> *"47. पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य-राज्य अपने लोगों के*

पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर सेवन पर निषेध लगाने का प्रयास करेगा।

"26. निषेध लागू करने की शक्ति।

(1) *ग्राम पंचायत, किसी भी समय, 1 अप्रैल को शुरू होने वाली और किसी भी वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा; उस समय पद धारण करने वाले पंच, निर्देश देते हैं कि ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी लाइसेंस प्राप्त दुकान पर मादक शराब नहीं बेची जा सकती है।*

(2) *जब उप-धारा (1) के तहत कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है और 31 अक्टूबर को या उससे पहले आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में प्राप्त होता है, तो यह अगले वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।*

(3) *पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियों और कार्यों के संबंध में, ऐसा प्रस्ताव आबकारी और कराधान आयुक्त पर बाध्यकारी होगा।*

बशर्ते कि यदि उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की राय है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारण से कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर अवैध आसवन या शराब की तस्करी की गई है या ऐसी स्थानीय क्षेत्र में, ऐसे प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से दो साल पहले की गई है, तो ऐसा प्रस्ताव उस पर बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि सरकार आदेश नहीं देती कि यह बाध्यकारी होगा।

(10) भारत के संविधान के अनुच्छेद 47, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम

की धारा 26 के अवलोकन से पता चलता है कि नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध को वैधानिक मान्यता दी गई है, ज्यादा तब जब यह स्वयं लगाया गया हो । मान लीजिए कि ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, विशेष रूप से जब वे सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं, तो गाँव के निवासियों के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसके लिए एक विशेष पंचायत का गठन किया जाता है और यदि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि और गाँव के निवासी भी शराब का सेवन न करने के लिए खुद पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसकी न केवल सराहना की जानी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से प्रभाव डाला जाना चाहिए।जिस क्षण धारा 26 की उप- धारा (1) के तहत प्रस्ताव पारित किया जाता है और उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है, वह इस तरह के संकल्प के बाद अगले वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाता है।लेकिन उन अपवादों के लिए जो हो सकते हैं

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 26 की उप- धारा (3) और उप- धारा (3) के प्रावधानों से उपलब्ध कलेक्टर के पास ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।वास्तव में उक्त संकल्प आबकारी और कराधान आयुक्त के लिए बाध्यकारी है।

(11) ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के आलोक में, यदि हम प्रतिवादी के बचाव की जांच करते हैं, तो तुरंत ऐसा प्रतीत होगा जो किसी भी अपवाद को आकर्षित नहीं करेगा जिसके तहत पंचायत के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है। 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 3841, जो कि 17 जनवरी, 1991 को पारित किए गए और 19 सितंबर, 1991 को प्राप्त किए गए प्रस्ताव के संबंध में है, में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित बचाव पर आते हुए यह कहना पर्याप्त है कि इसका कोई परिणाम नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे केवल याचिका को चुनौती देने के उद्देश्य से लिया गया है।प्रस्ताव हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान पारित किया जा सकता है।यदि उस दिन के बीच जब प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी 17 जनवरी, 1991 और 1 अप्रैल के बीच पंचायत के संकल्प में कुछ बदलाव आया था, तो प्रतिवादी के लिए कुछ तर्कपूर्ण बचाव उपलब्ध हो सकता है, लेकिन यह स्वीकार किया जा सकता है कि ग्राम पंचायत का रुख सुसंगत था और 17 जनवरी, 1991 को पारित प्रस्ताव को 3 फरवरी, 1992 के एक अन्य प्रस्ताव द्वारा खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, तथ्य यह है कि अधिकारियों को 30 सितंबर से पहले ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त हो गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि के रूप में जो 30 सितंबर की तारीख तय की गई है, इसका एकमात्र कारण यह है कि विक्रय की नीलामी से संबंधित सभी मामलों को समय पर अंतिम रूप दिया जाना है ताकि आगामी वर्ष के लिए विक्रय की नीलामी की जा सके।इसलिए, तय की गई अंतिम तिथि का कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन जहां तक प्रस्ताव पारित करने के लिए सबसे पहले के दिन का संबंध है, इसका कोई परिणाम नहीं है।इसके अलावा, किसी भी वर्ष में 30 सितंबर को समाप्त होने वाले अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाली विशिष्ट अवधि का प्रावधान निषेध के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने वाले प्रस्ताव को पारित करने के लिए अनिवार्य नहीं है।निर्धारित समय सीमा अनिवार्य नहीं है और केवल निर्देशिका है।" *ग्राम पंचायत, चिर्या बनाम हरियाणा और अन्य* "*1985 पी एल जे* 578.

में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 26 के प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया है और इसलिए, धारा 26 के प्रावधानों को उदार निर्माण दिया जाना चाहिए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए।

(12) अब 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 4059 में प्रस्तावित बचाव पर आते हुए, यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी ने भरोसा किया है पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 26 की उप- धारा (3) के प्रावधान पर और उस प्रयास में 9 मामलों की सूची दी गई है जो प्रस्ताव पारित होने से पहले दो साल के भीतर देसी शराब की बोतलों की बरामदगी से संबंधित हैं।यहां तक कि मामलों की सूची पर एक सरसरी नज़र डालने से यह पता चलता है कि एक मामले में जो देशी शराब की 84 बोतलों की बरामदगी से संबंधित है, अन्य सभी मामले देशी शराब की 5 से 9 बोतलों की बरामदगी से संबंधित हैं और यह कि सीरियल नंबर 1 में उल्लिखित मामले के लिए जो वर्ष 1989 से संबंधित है और जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, अन्य सभी मामले विचाराधीन हैं।इसके अलावा, सभी मामले देशी शराब की बरामदगी से संबंधित हैं, जिसे श्री आर. पी. विज, प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले जिला अटॉर्नी ने भी स्वीकार किया है, अवैध आसवन के मामले नहीं थे।वास्तव में इस तरह से बरामद शराब को लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर आसुत किया गया था और उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के बाद बाजार में लाया गया था।आबकारी अधिनियम के तहत मामले इस साधारण कारण से दर्ज किए गए थे कि शराब को लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर आसुत किया जाता है और उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के बाद बाजार में आई है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन एक बार में एक से अधिक बोतल ले जाना ही अपराध है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, देशी शराब की वसूली, जिसे लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर आसुत किया गया था और उचित उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था, न तो अवैध आसवन और न ही शराब की तस्करी का मामला होगा।इसके अलावा, तथ्य यह है कि सभी मामले विचाराधीन हैं और उक्त मामलों में अभियोजन की सत्यता का अब तक परीक्षण या साबित नहीं किया गया है, तथ्य यह है कि वर्ष 1989 से संबंधित मामले को इस मामले में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये

मामला इस मामले पर विचार करने की तारीख से दो वर्ष पहले का होने के कारण, ये अवैध आसवन या तस्करी के नहीं थे। तस्करी में लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक रूप से किसी वस्तु को उस स्थान पर लाना आवश्यक है जहां उसे उस स्थान की तुलना में अधिक महंगा बेचा जा सकता है जहां से इसे लाया गया है या उसे उस क्षेत्र में लाया गया है जहां ऐसी वस्तु लाना निषिद्ध है। उत्तरदाताओं द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया उसका अवैध आसवन या तस्करी से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान याचिका का बचाव करने के लिए उत्तरदाताओं की दलील योग्यता से रहित है।

(13) 1992 के सिविल रिट याचिका संख्या 4210 में लिया गया बचाव पिछले मामले में लिया गए बचाव की तुलना में कहीं अधिक कमजोर है।इस मामले में, जनवरी 1990, अप्रैल 1990 और जून 1991 से संबंधित देशी शराब की 3 से 12 बोतलों की बरामदगी के केवल तीन उदाहरण हैं।ये सभी मामले भी विचाराधीन हैं। 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 4059 में प्रतिवादियों की याचिका को अस्वीकार करने में जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके लिए इस मामले में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई को भी रद्द किया जाना चाहिए।

(14) 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 3432 में, प्रतिवादी द्वारा फिर से देशी शराब की बरामदगी के सात मामलों का हवाला दिया गया है।ये मामले नवंबर 1989 से अगस्त 1991 तक की अवधि से संबंधित हैं। सभी मामलों की सुनवाई लंबित है और उक्त मामलों में अभियोजन पक्ष की याचिका अभी तक साबित नहीं हुई है। ऊपर वर्णित कारणों से, इस मामले में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी की कार्रवाई को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(15) अधिकारियों को अनिवार्य रूप से संविधान निर्माताओं द्वारा निषेध के प्रवर्तन से जुड़े महत्व को ध्यान में रखना था।याचिकाकर्ताओं के सर्वसम्मत प्रस्ताव को तब तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक कि पर्याप्त सामग्री के आधार पर एक स्पष्ट मामला यह दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था कि स्थानीय क्षेत्र में शराब का अवैध आसवन और तस्करी की गई थी या उसकी मिलीभगत थी। यदि संवैधानिक प्रावधानों में निहित सार्वजनिक नीति के महत्व को, जिसे

याचिकाकर्ता लागू करना चाह रहे हैं, उत्तरदाताओं द्वारा ध्यान में रखा गया होता, तो देशी शराब की बरामदगी के आधार पर, जो न तो अवैध आसवन का मामला है और न ही तस्करी का, ग्राम पंचायत के सर्वसम्मत प्रस्तावों को नजरअंदाज करने की राय अधिकारियों द्वारा गठित नहीं की जाती।इसलिए हम मानते हैं कि ग्राम पंचायतों द्वारा पारित प्रस्तावों और उपरोक्त मामलों में शराब की दुकानों की नीलामी करना कानून के प्रावधानों के खिलाफ है और इसलिए इसे अवैध माना जाता है।यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि ऐसे मामले बार-बार इस न्यायालय में निर्णय के लिए आते रहे हैं और बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्तमान मामलों में जिस तरह का बचाव प्रस्तुत किया गया है, वह पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 26 में निहित कानून के अधिदेश के खिलाफ है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए मामले में पहला निर्णय *"ग्राम पंचायत ऊन बनाम उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा और अन्य" (2)* । कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 3896 में उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं के कारण को इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा अनुमति दी गई थी।इस न्यायालय की खण्ड पीठ निम्नलिखित निर्णय दियाः—

> *"प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के प्रति निष्पक्षता में, यह कहा जाना चाहिए कि श्री बी. एस. मलिक, विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता, हरियाणा ने तर्क दिया कि रिट याचिका खारिज करने योग्य थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत ने 21 नवंबर, 1988 को गाँव में निषेध को लागू करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था और यह राज्य द्वारा 19 जनवरी, 1989 को प्राप्त किया गया था।*

(2) 1974 पी. एल. जे. 360

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 26 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को 30 सितंबर से पहले पारित किया जाना था और इसे उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में 31 अक्टूबर को या उससे पहले पहुंचना था।चूंकि इस मामले में पंचायत ने धारा 26 के प्रावधानों का पालन नहीं किया था, इसलिए प्रतिवादी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं थे।इस निवेदन का पूरा जवाब इस अदालत के ग्राम पंचायत, चिर्या बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1985 पी. एल. जे. 578 में एक निर्णय द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निषेध को लागू करने की मांग करने वाले प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशिष्ट अवधि (1 अप्रैल से शुरू होकर किसी भी वर्ष में 30 सितंबर को समाप्त होने वाली) का प्रावधान अनिवार्य नहीं था। विधानमंडल का उद्देश्य केवल ग्राम पंचायत के कामकाज को विनियमित करना था। निर्धारित समय अनिवार्य नहीं है और केवल निर्देशिका है।

यह माना जाता है कि गाँव की शराब की दुकान के लिए नीलामी होने से पहले प्रस्ताव पारित किया गया था और सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया गया था।वर्तमान मामले में नीलामी 15 मार्च, 1989 को हुई थी, जबकि प्रस्ताव जनवरी, 1989 में ही सक्षम प्राधिकारी के हाथों में पहुंच गया था। धारा 26 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार, धारा 26 के प्रावधानों को उदार निर्माण दिया जाना चाहिए ताकि इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल न किया जा सके।"

(16) मुझे 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3973 में अकेले बैठकर इसी तरह के मामले से निपटने का अवसर मिला था और भले ही उक्त मामले में प्रतिवादी ने वर्ष 1987 में अवैध आसवन के 4 मामले, 1988 में 4 मामले, लेकिन 1989 में 1 का हवाला दिया था, लेकिन शराब की दुकान की नीलामी में प्रतिवादी

की कार्रवाई अमान्य कर दी गई थी।

(17) भले ही पिछले एक दशक से अधिक समय से, इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण, उन मामलों को नजरअंदाज करना है जो पंजाब ग्राम पंचायत की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं जब वे ग्राम पंचायत के संकल्पों से निपट रहे होते हैं जिसमें ग्राम पंचायत शराबबंदी लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि संदेश उन लोगों तक नहीं गया है जिन्हें स्वाभाविक रूप से जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप हर साल शराब की नीलामी की पूर्व संध्या पर इस न्यायालय में याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों के साथ-साथ नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को भी पूरी तरह से परेशान किया जाता है।हम कामना करते हैं और ईमानदारी से आशा करते हैं कि अब से अधिकारी अपने दिमाग को अधिक गंभीर तरीके से लागू करेंगे और किसी अन्य विचार से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन उस विचार के लिए जिसमें मामले से निपटा जाना है, ऐसा समय न आए कि हम मामलों से निपटने वालों द्वारा हर्जाने का भुगतान करने के लिए आदेश पारित करने के लिए विवश हों।

(18) उपरोक्त कारणों से, याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिका संख्या 3841/1992 को 23 अप्रैल, 1992 को ही दलीलें सुनने के बाद अनुमति दे दी गई थी और उक्त मामले के संबंध में निर्णय उसी तारीख से लागू माना जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को खारिज करने वाले विभिन्न मामलों में पारित आदेश रद्द किये जाते हैं। जिन मामलों में नीलामी पहले ही हो चुकी है, उनमें शराब की दुकानों की नीलामी में उत्तरदाताओं की कार्रवाई को अवैध माना जाता है और इस प्रकार, रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम,हरियाणा